कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 2290 / तकनीकी / 2015 भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक /
समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषय– दस्तावेज लेखक तथा स्टाम्प विक्रेता अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में।

––0––

मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 दिनांक 18.07.2014 से प्रभावशील किए गए हैं, जिसके नियम 4 में दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए अर्हताओं का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 26 में दिनांक 01.11.2014 से संशोधन कर स्टाम्प विक्रेता के लिए अर्हताओं का निर्धारण किया गया है।

2. कतिपय जिला पंजीयक द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि जिन दस्तावेज लेखकों तथा स्टाम्प विक्रेताओं को पूर्व नियमों के तहत अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं, तथा वे नवीन नियमों के तहत अर्हताएं पूर्ण नहीं करते हैं, उनकी अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत की जाएं, अथवा नहीं।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीन नियम नए दस्तावेज लेखकों तथा स्टाम्प विक्रेताओं को अनुज्ञप्तियां जारी करने के संबंध में हैं, तथा जिन दस्तावेज लेखकों तथा स्टाम्प विक्रेताओं को पूर्व नियमों के तहत अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं, उन्हें नियमानुसार नवीनीकृत किया जाना जारी रखा जाए।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 2291 / तकनीकी / 2015 भोपाल, दिनांक मई 2015

प्रतिलिपिः–

समस्त परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

E:\virendra\Technical\LETTER2015_90